दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 12 फरवरी, 2024
निर्णय उद्घोषित किया गया:12 मार्च, 2024

सि.पुं.या. 217/2023 और सि.वि.आ. 41227/2023

राकेश सचदेवा .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री जी.एल. वर्मा, अधिवक्ता।

बनाम

राजेश साचेदेवा ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री विवेक सिंह और सुश्री कीर्ति मेवाड़, अधिवक्ता के साथ प्रत्यर्थी स्वयं

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मेश शर्मा

<u>निर्णय</u>

1. याचिकाकर्ता, जो प्रत्यर्थी/वादी द्वारा दायर वाद में प्रतिवादी है, जो दिनांक 02.06.2023 के आक्षेपित आदेश का विरोध कर रहा है जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-04, दक्षिण जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली, ने वादी के लिए दो गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने के याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। जिन दो गवाहों से परिक्षण किया जाना था वे थे: उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, नोएडा-II, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से संबंधित अभिलेख लिपिक/अधिकारी, जिसे पुस्तक सं. IV खंड 21, पंजीकरण सं. 889 दिनांक 14.04.1983 में पृष्ठ सं. 192 पर पंजीकृत एसपीए और पुस्तक सं. IV जिल्द 21, पंजीकरण सं. 890 दिनांक 14.04.1983 में पृष्ठ सं. 193 पर एसपीए को

प्रस्तुत करना था इसके अलावा उप रजिस्ट्रार-I, कश्मीरी गेट, दिल्ली से संबंधित अभिलेख लिपिक/अधिकारी, पंजीकरण सं. 2946, अतिरिक्त पुस्तक सं. IV, जिल्द. 928; पृष्ठ 174 के अनुसार 14.04.1983 को पंजीकृत रसीद पंजीकृत प्रस्तुत करना था।

2. यह कहना पर्याप्त है कि पक्षकार सगे भाई हैं और विवाद का कारण वाद संपत्ति है जिस पर प्रत्यर्थी/वादी अपना मालिकाना हक जताते हैं जबकि याचिकाकर्ता/प्रत्यर्थी सं.1 आंदोलन करता है कि प्रत्यर्थी//वादी के पक्ष में निष्पादित सभी दस्तावेज जाली और मनगढ़ंत हैं।

3. तर्क के दौरान, यह बताया गया कि दोनों पक्षों के साक्ष्य तब से पूरे हो चुके हैं और उक्त दो गवाहों को साक्ष्य के खंडन के स्तर पर प्रत्यर्थी/वादी को सर्वप्रथम समन करने का आदेश दिया गया है।

विश्लेषण और निर्णयः

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख के परिशीलन के बाद विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के परिचालन भाग को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा जो निम्नानुसार हैः-

> *"तर्क सुने गए। अभिलेख का परिशीलन किया गया।*
>
> *इस न्यायालय ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है जिसका शीर्षक है* ***"कोतुलपुर किसान' सेवा बनाम सायरा बीबी और अन्य, सि.आ. सं.2515/2019"*** *जिसमें इसे पैरा 43 अभिनिर्धारित किया जाता है जो निम्नानुसार हैः*
>
> *43. अभिलेखों से यह पाया गया कि प्रतिवादी सं.18 को केवल एक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था न कि गवाह के रूप में, जैसा कि "वादी के स्वयं के संबंधित आवेदन से स्पष्ट है। इस प्रकार," अधिनियम 1872 की धारा 139 पूरी तरह से लागू होती है और प्रतिवादी सं. 18 को प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य के लिए गवाह नहीं माना जा सकता है।*

इसलिए, विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 18 की प्रतिपरीक्षा के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है।

इस न्यायालय ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय "राकेश जैन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आपराधिक निरिक्षण 1403-2022" पर भी निर्भर किया है, जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

..... चूंकि "इस गवाह ने इन दस्तावेजों को तैयार नहीं किया है और केवल यही एकत्र किया है, इसलिए उसे किसी भी व्यक्तिगत ज्ञान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जिसके लिए प्रश्न और उत्तर प्रारूप के माध्यम से उसकी प्रतिपरीक्षा की अनुमति है।

अन्यथा भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 के अनुसार, गवाह को विचारण के दौरान प्रदर्श दस्तावेजों की विषय-वस्तु के संबंध में प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है तथा उसे अंतिम न्यायनिर्णयन के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा देखा जाना है।

अभिलेख से पता चलता है कि वादी ने गवाहों को समन के लिए अपने आवेदन में गवाहों अर्थात श्री सर्वेश कुमार और श्री राजेंद्र सिंह को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन का अनुरोध किया था, अर्थात क्रमशः पुस्तक संख्या IV, खंड 21, पंजीकरण संख्या 890, दिनांक 14.04.1983 में पृष्ठ संख्या 193 पर पंजीकृत एसपीए, पुस्तक संख्या IV, खंड 21, पंजीकरण संख्या 889, दिनांक 14.04.1983 में पृष्ठ संख्या 192 पर पंजीकृत एसपीए और पंजीकरण संख्या 2946, अतिरिक्त पुस्तक संख्या IV, खंड 928, पृष्ठ 174 के माध्यम से पंजीकृत रसीद, जो 14.04.1983 को पंजीकृत हुई थी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 को यहाँ पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:

139. दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा

किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समन किया गया व्यक्ति केवल इस तथ्य से गवाह नहीं बन जाता कि वह उसे पेश करता है और जब तक उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है, तब तक उससे प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्त चर्चा के साथ-साथ उपर्युक्त निर्णयों के प्रकाश में, यह न्यायालय इस विचार पर है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 139 के तहत उक्त साक्षियों से प्रतिपरीक्षा की अनुमति नहीं है क्योंकि वादी ने उन्हें केवल दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया था।''

5. उपरोक्त आदेश के सावधानीपूर्वक परिशीलन पर पता चलता है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका बिना किसी निश्चित रूप से किसी भी गुणागुण से विहीन है। याचिकाकर्ता को उन सरकारी गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति देने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है जिन्होंने केवल कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। इस बात का कोई खंडन नहीं है कि हालांकि प्रतिपरीक्षा का अधिकार कानून में पवित्र है लेकिन यह केवल तभी उपलब्ध कराया जा सकता है जब गवाह कुछ विवाद्यक तथ्यों के बारे में गवाही देता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अनुसार, विवाद्यक तथ्य अभिव्यक्ति का अर्थ है और इसमें शामिल हैं -

"कोई भी तथ्य जिससे या तो स्वयं या अन्य तथ्यों के संबंध में, किसी भी अधिकार, दायित्व या अक्षमता का अस्तित्व, गैर-अस्तित्व, प्रकृति या सीमा, किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में दावा या अस्वीकार किया जाता है, अनिवार्य रूप से अनुसरण करता है।
स्पष्टीकरण- जब कभी, सिविल प्रक्रिया 14 से संबंधित वर्तमान में लागू कानून के उपबंधों के अधीन कोई न्यायालय विवाद्यक तथ्य अभिलेखित करता है, तो ऐसे विवाद्यक तथ्य के उत्तर में अभिकथन किया जाने वाला या अस्वीकार किया जाने वाला तथ्य विवाद्यक तथ्य होता है।"

6. इस प्रकार, तथ्यों का अभिसाक्ष्य किसी भी वस्तु, वस्तु की स्थिति या वस्तु के संबंध में होगा जिसे महसूस किया जा सकता हो। पुनरावृत्ति की कीमत पर, इस मामले में सरकारी गवाहों को सार्वजनिक अभिलेखों से कुछ दस्तावेज़ पेश करने के लिए समन दिया गया है और न तो उन्हें दस्तावेज़ के पक्षों की पहचान के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी है और न ही वे ऐसे दस्तावेज़ों की वैधता या प्रामाणिकता के बारे में कुछ भी बयान देने के लिए सक्षम गवाह हैं, सिवाय इस तथ्य के कि वे सार्वजनिक अभिलेखों में पाए जाते हैं और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पेश किए जाते हैं।

7. यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 146 के अनुसार प्रतिपरीक्षा में वैधानिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जो *गवाह की सत्यता को परखने के साथ-साथ यह भी पता लगाते हैं कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है*। इसके अलावा, वैधानिक प्रश्न उसकी साख को हिलाने या उसके चरित्र को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी हो सकते हैं।

8. तत्काल मामले में, गवाहों की सत्यता और/या उनके सरकारी पदानुक्रम में स्थिति और/या उस मामले के लिए, किसी भी तरह से उनके चरित्र को नुकसान पहुंचाने या उनके बयान की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई मुद्दा नहीं है। किसी भी तथ्य के बारे में कोई बयान नहीं है, सिवाय इसके कि दस्तावेज सार्वजनिक अभिलेख में मौजूद हैं और उसी रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि गवाहों के अभिलेखित परिसाक्ष्य में जिन दस्तावेजों को प्रदर्श के तौर पर चिह्नित किया गया है कि उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि दस्तावेज कानून के अनुसार सिद्ध है। इस अभिवचन को केवल इसलिए खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि कानून में यह अच्छी तरह से निर्धारित है कि दस्तावेज़ पर केवल

"न्यायालय के साक्ष्य" अंकित कर देने से यह नहीं माना जा सकता कि दस्तावेज़ सिद्ध हो गया है या साक्ष्य में स्वीकार्य होगा। केवल इसलिए कि दस्तावेजों को ऐसे गवाहों के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि दस्तावेज सिद्ध या प्रमाणित हो गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अंततः यह विद्वान विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा कि वह यह निर्धारित करे कि ऐसे दस्तावेजों पर गौर किया जा सकता है या नहीं और/या कानून के अनुसार किसी मामले के निर्धारण के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं।

10. उपरोक्त चर्चा के देखते हुए मैं पाता हूं कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में कोई गुणागुण नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2023 को पारित आक्षेपित आदेश किसी भी प्रकार की अवैधता, विकृति या कानून में गलत दृष्टिकोण से ग्रस्त नहीं है।

11. इसलिए वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाती है।

12. लंबित आवेदन का भी निपटान कर दिया गया है।

न्या. धर्मेश शर्मा,

12 मार्च, 2024
एसपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*